I/339425/2023

संख्या- 01/2023/ /001-13CMNSY 9 2 23 E1687399

प्रेषक,

सजीवन,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 जून, 2023

विषय:- मुख्यमंत्री नगरसृजन योजनान्तर्गत ए0 एण्ड ओ0ई0 मद में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8/3236/443/मु0न0सृ0यो0/2022-23, दिनांक 07.06.2023 एवं पत्र सं0-तक0सेल/111/09-मु0मं0न0सृ0यो0/2023, दिनांक 20.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश सं0-1490/ नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक 08 अगस्त 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में कुल बजट प्राविधान का 0.5 प्रतिशत धनराशि क्षमता निर्माण, ए0एण्ड ओ0ई0, प्रशासनिक एवं अन्य मदों तथा आई0ई0सी0 गतिविधियों के लिये रोके जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु नवसृजित नगर पंचायतों हेतु संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त समस्त धनराशि निकायों को निर्गत की जा चुकी है, जिससे निदेशालय स्तर पर ए0एण्ड ओ0ई0 मद में धनराशि अवशेष नहीं है।

उक्त के दृष्टिगत निदेशालय स्तर पर गठित सेल में कार्यरत कार्मिकों के भुगतान, CM-NSY Dashboard के क्रियान्वयन, A&OE गतिविधियों का संचालन, ICE गतिविधियों/ योजना का प्रचार प्रसार किये जाने तथा योजना संचालन हित में नवसृजित नगर पंचायतों हेतु संगत लेखाशीर्षक-2217-80-193-03-00 में धनराशि रू0 1,68,42,408.00 (रू0 एक करोड़ अड़सठ लाख बयालीस हजार चार सौ आठ मात्र) अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-03-नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, 35-पूँजिगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद में कुल प्राविधानित धनराशि 40500.00 लाख (रू0 चार अरब पांच करोड़ मात्र) के सापेक्ष मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत गठित सेल की गतिविधियों के संचालन हेतु गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवशेष धनराशि रू0 1,68,42,408.00 लाख (एक करोड़ अड़सठ लाख बयालिस हजार चार सौ आठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1.स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ के पद नाम से खुले बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी, जो नियमानुसार कार्य के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

2. धनराशि का आहरण राजकोष से आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित

करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3. प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4. कार्यों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ का होगा।

5. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

7. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

8. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे, यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

9. मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/2022, दिनांक 08.08.2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं उक्त योजनान्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,68,42,408 (रुपये एक करोड़ अड़सठ लाख बयालीस हजार चार सौ आठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801930300 नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by सजीवन
Date: 27-06-2023 10:13:38
Reason: Approved

सजीवन,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या- 01/2023/ /001-13CMNSY 9 2 23 E1687399, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(8) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सजीवन,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

Non-Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees)

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-13CMNSY 9 2 23 E1687399 **स्वीकृति तिथि:** 26/06/2023
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217801930300 - नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	**Voted**	**Charged**
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	168.42	0.00
योग :	**168.42**	**0.00**

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव